योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता/ कोर्ट केस
अर्द्ध.शा.प.सं.-58/13रिट/47-का-3-2014/3/10/2014
कार्मिक अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ : दिनांक : 2 अप्रैल, 2014

आदरणीय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट पिटीशन नोटिस संख्या-1441/2014 एच0पी0 श्रीवास्तव बनाम सरकार व अन्य के संबंध में प्रेषित मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.02.2014 जो आपको भी सम्बोधित व प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत याचिका में मुख्य रूप से कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक जो जनगणना का छँटनीशुदा कार्मिक है, जिसका प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है और जनगणना के छँटनीशुदा कार्मिकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति बनायी गयी है। अतएव प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिवाद संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग को किया जाना है।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत रिट याचिका में शासन की ओर से प्रतिवाद करने तथा प्रभावी पैरवी करने हेतु जिलाधिकरी, बलरामपुर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)

श्री आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-58/13रिट(1)/47-का-3-2014-3/6/2014, तददिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-4 को इस आशय से प्रेषित कि रिट नोटिस संख्या-1441/2014 एच0पी0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में अपने स्तर से प्रतिवाद की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in